CitizensUp
Corruption Free and Transparent Service Delivery in MGNREGS
4/2012
CUTS International
Partnership for Transparency Fund

Seven years on only 7 percent entitled workers aware about allowance under MGNREGS

The rate of awareness among those who have job cards under MGNREGS is dismal: only 17 percent of them are aware about the form number six which is mandatory to get the job; 16 percent know of the provision of procuring a job within 15 days of demand; and only 12 percent were aware that the job has to be provided within a radius of 5 kms of their villages. Further, only 7 percent were aware that an unemployment allowance is provided in case the government fails to provide a job within 15 days of demand. It was also revealed that only 71 percent know about the provision of 100 days of job. Only 57 percent workers know about the full wage rate of scheme while 52 percent know about the worksite facilities. These were the surprising findings that emerged out of a survey conducted.

'Consumer Unity & Trust Society' a Jaipur based consumer organisation is implementing a project called "Contributing towards Corruption Free and Transparent Service Delivery in 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)' through Civic Engagement in Jaipur and Tonk Districts of Rajasthan, India'' popularly known as 'Citizensup' since April, 2012 with Partnership for Transparency Fund (PTF).

The key objectives of the intervention are to enquire whether those eligible are receiving all the stipulated entitlements under MGNREGS, such as guaranteed days of employment, wages, allowances and facilities at the worksites, effective participation, proper identification, planning, monitoring and evaluation processes besides improvement in the quality of governance and reduction of corruption in the project areas.

The intervention was carried out in 325 villages of 65 *gram panchayats* covering about 17,000 households and 45,000-48,000 job cards holders of MGNREGS. During the implementation of the project 150 community meetings were conducted and around 41 RTI applications were filed which helped resolve around 700 out of 750 complaints related to entitlements and 35 out of 150 complaints related to corruption.

Under the project around 900 households were identified and 150 were included in the schemes. There are 15 *Gram Panchayats* in which improvement was noticed in the entitlements. In the Khandel *Gram Panchayat* more than 30 percent of the job seekers got 100 days of jobs and around 80-90 percent of job seekers got 80 to 90 days of work and full wages for the first time. There are several villages where eligible workers got 100 days of employment during the year. About ₹24lakh wage money which was on hold due to one reason or other, was released as a result of the effort above.

Under the project other key activities were conducting rural media workshops and creating a district network of local media persons. An exposure visit was organised to Andhra Pradesh comprising 9 members hailing from targeted districts, blocks, *gram panchayat* officials and NGO representatives to learn about the best practices of MGNREGS. Under the project an RTI Information and Advisory Cell was run in which around 200 calls were received related to corruption, non-availability of work etc.

It was also emerged during the survey that a majority of workers (62 percent) demanded job verbally and 85 percent of workers denied filling up any form before getting job. The average numbers of working days were around 54 and the average wage rate was ₹94 per person per day which is below than the wage rate of ₹119 per day.

MGNREGS has several provisions relating to transparency and accountability besides the provisions under RTI. But none of the provisions are working well. Only 11 percent of the people attended the *gram panchayat* activities and 4 percent of them take part in the planning process of MGNREGS. Only 4 percent workers were aware of the provision of social audit and only 0.3 percent took part therein. 24 percent of the job seekers shared in confidence that they paid bribes to get wages without work, gave job cards to service providers to show bogus entries get wages on time at workplace itself instead of going at post office which is far away and hire the JCB machine to complete the given task instead of doing by themselves.

Only 8 percent of the workers of MGNREGS had heard about RTI; out of them only 4 percent knew about the application process; and only 2 percent out of them knew about the Public Information Officer, application form and required fees etc. while nobody knew about the process of appeal.

Overall the intervention proved a success in terms of combating corruption and ensuring etitlements meant for the common citizens actually reached them. This was possible with the active engagement of the community, local NGOs and service providers in the project areas.

Vijaypura Completes 100 Days of Employment for the First Time

Vijaypura under the Bidoli *Gram Panchayat* falls in the Niwai block of Tonk district and is divided into two parts – one inhabited by the Gurjar community and the other by the Bairwa community. These are one of the most backward communities in Rajasthan. The total number of job card holders in the village was 21. The total number of days of job was below 25 up to the year 2011 due to non-availability of sanctioned work. Taking up the call, the local 'Consortium of Groups Combating Corruption' (CGCC) took up the issue and educated the card holders regarding entitlements and process of getting job under MGNREGS.

All the 21 job card holders of the village filled up the prescribed form and were surprised to note that they received a message from the *Gram Panchayat* for work after 15 days. All the 21 job card holders started work. Likewise after finishing the first muster roll all the entitlement holders filled up the prescribed form again and got work. As a result of the initiatives taken by two community youth volunteers namely, Rajaram Gurjar and Kajod Mal of Vijaypura all the 21 job card holders got their 100 days of work at a record rate of ₹110 per day which was the highest since inception of the scheme.

Outcome: All the entitlement holders obtained 100 days of work and reasonably good rate of wages as well.

Community Provides a Complaint Box at Bhankrota *Gram Panchayat*

There was no body to entertain the MGNERGS and G*ram Panchayat* related complaints though an elected *Panchayat* President headed it. The entitlement holder shared their problems with the local community facilitator who just returned from the exposure visit to Andhra Pradesh. The facilitator shared his experience of and suggested a placing a complaint box where all grievances could be dropped. The G*ram Panchayat* officials agreed and a complaint box was donated by the community. The box is still in place and people especially MGNREGS entitlement holders are putting in their complaints which are redressed as per feedback from the local community.

Outcome: A complaint box has been placed in the Gram Panchayat office where local people are registering their complaints related to MGNREGS and others. It is working well and complaints are redressed timely.

पी.टी.एफ. सहयोगी संगठनों ने किया पीयर रिव्यू व 'कट्स' परियोजना क्षेत्र का शैक्षणिक भ्रमण

सिटीजन्सअप' परियोजना के अन्तर्गत 'कट्स' के सहयोग से किये जा रहे प्रयासों का जायजा लेने के लिए तथा परियोजना का पीयर रिव्यू करने के लिए 'पब्लिक अफेयर्स सेंटर' (पी.ए.सी.) बंगलूर के कार्यक्रम अधिकारी पी. श्रीकान्त व आर.एल.ई. के देहरादून के कार्यक्रम अधिकारी अरविन्द शर्मा ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान दल के सदस्यों ने फागी तहसील के डाबिच व भांकरोटा ग्राम पंचायतों का दौरा कर 'मनरेगा' में काम करने वाली महिलाओं, सरपंचों व ग्राम सचिव व ग्राम पंचायत सदस्यों तथा स्थानीय नागरिक संगठनों व समुदाय के सदस्यों से मिलकर उनसे आपस में अनुभव बांटे। दल के सदसयों ने उनके राज्यों में 'मनरेगा' के क्रियान्वयन से सम्बन्धित वस्तु स्थितियों को स्थानीय समुदाय व ग्राम पंचायत कर्मचारियों के साथ बांटा तथा स्थानीय समस्याओं व अच्छे अनुभवों के बारे में बताया। अंत में परियोजना को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिये गये। श्रीकान्त ने महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित अपने अनुभव सुनाये तथा अरविन्द शर्मा ने उत्तरांचल के पर्वतीय व बर्फीले क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभवों को बांटा।

पीयर रिव्यू के द्वितीय चरण में 'कट्स' की परियोजना अधिकारी आरती पाण्डे तिवारी व श्रीकान्त ने आर.एल.ई.के. के परियोजना क्षेत्र का पीयर रिव्यू किया तथा चकराता ब्लॉक के डोरा व सीडी बारकोटी गांवों का दौरा कर स्थानीय मनरेगा मजदूरों से वार्ता कर अपने अनुभव बांटे। दल ने आर.एल.ई. के द्वारा किये जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने के सुझाव भी परियोजना दल को दिये।

तृतीय चरण में श्रीकान्त व 'कट्स' के परियोजना समन्वयक मधुसूदन शर्मा ने ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल, इंडिया द्वारा दिल्ली के कुछ चयनित सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों में लागू किये गये इन्टिग्रीटीपैक्ट (आई.पी.) परियोजना का पीयर रिव्यू किया, जिसके अन्तर्गत भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण, ओ.एन.जी.सी., टी.सी.आई.एल. एवं पी.जी.सी.एल. के मुख्यालयों का दौरा कर मुख्य सतर्कता अधिकारियों से आई.पी. की प्रगति का जायजा लिया गया साथ ही, इसको लागू करने में आ रही बाधाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। टी.आई.आई. के आशुतोष मिश्रा ने दल का संचालन किया।

उपरोक्त पीयर रिव्यू के विभिन्न चरणों के दौरान प्रतिभागियों को नई-नई जानकारियां व अनुभव हुए जो कि भविष्य में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।

आर.टी.आई. की ऑन लाईन फाइलिंग शुरू

भारत सरकार जल्द एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है जिस पर 10 रूपए का निर्धारित शुल्क जमा करवा कर आर.टी.आई. आवेदन किये जा सकते हैं। डी.ओ.पी.टी. विभाग, जो कि आर.टी.आई. कानून को पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार, अप्रेल, 2013 से एक rtionline.gov.in पोर्टल शुरू करने जा रहा है जो कि एन.आई.सी. व एस.वी.आई. के सहयोग से शुरू किया जा रहा है।

सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर करवाकर यूजर आई.डी. व पासवर्ड लेना होगा, मगर उपरोक्त औपचारिकता के बिना भी आवेदन किये जा सकते हैं। आवश्यक 10 रूपए का शुल्क क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जमा कराया जा सकेगा। परियोजना की शुरूआत डी.ओ.पी.टी. सर्वप्रथम अपने ही विभाग से करने जा रहा है ताकि इसमें आने वाली बाधाओं को सुचारू रूप से हटाया जा सकें। इसके बाद ही केन्द्र सरकार के दिल्ली में स्थित सभी 83 विभागों व मंत्रालयों में ये व्यवस्था की जायेगी।

ज्ञात रहे कि आर.टी.आई. की वर्तमान व्यवस्था में अत्यधिक कागजी कार्यवाही होती है जिससे इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बचा जा सकेगा। इससे भौतिक फाइलों के रखरखाव व खोने से भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि इन सब का डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाने में मदद मिलेगी। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था भी सुचारू रूप से काम कर रही है, मगर इस नई व्यवस्था से मांगी गई सूचना की लागत में कमी आयेगी तथा सूचना जल्दी ही दिये जाने में मदद भी मिलेगी।

यह नई शुरूआत काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योकि इसकी सफलता विभाग के आला अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले सहयोग पर निर्भर है।

यदि अधिकारियों द्वारा अपनी फाइलों व रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाने में समय लगता है तो इस नई व्यवस्था को मूर्त रूप देने में लगभग छह महीने से एक साल भी लग सकता है।

इस नई शुरूआत से अप्रवासी भारतीय भी आर.टी.आई. के तहत 10 रूपए में इलेक्ट्रोनिक पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क देकर इस कानून का प्रभावी उपयोग कर सकेंगे जो कि अब तक अपने दोस्तों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहा करते थे। इस व्यवस्था के तहत अप्रवासी भारतीय इस विभाग की वेबसाइट पर जाकर 10 रूपए का इलेक्ट्रोनिक पोस्टल ऑर्डर बनाकर आर.टी.आई. पोर्टल पर अपना नाम व पासपोर्ट विवरण दर्ज करवाकर आवेदन कर सकंगे। लोक सूचना अधिकारी इन आवेदनों की ऑनलाइन पड़ताल करके इन्हें नियत समय में सूचनार्थ उपलब्ध करवायेंगे।

इस नये कदम को अप्रवासी भारतीयों व आर.टी.आई. से जुड़े संगठनों व कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा कदम बताया है।

राज्य सूचना आयोग में शुरू होगी सुनवाई

न्यायिक सदस्य लगाने के आदेश पर रोक, 13,600 अपील और 600 परिवाद लम्बित

राज्य सूचना आयोग में 7 माह बाद फिर सुनवाई शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोगों में दो सदस्यीय बेंच में सुनवाई और प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य होने की बाध्यता के अपने ही पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। आयोग में दो सदस्यीय बेंच के लिए आयुक्त नहीं होने से सुनवाई अटकी हुई थी। स्थिति यह है कि अभी नई अपीलों पर सुनवाई के लिए अगले साल फरवरी और पहले से चल रही अपीलों पर अप्रैल, 2014 की तारीख दी जा रही है। कोर्ट ने दो सदस्यीय बेंच में सुनवाई व न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की बाध्यता पर रोक लगा दी।

मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की परामर्श बैठक

'कट्स' द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को एक 'मीडिया परामर्श' कार्यशाला का आयोजन जयपुर में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं में पत्रकारों की मुख्य भूमिका तथा विकास योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुँचाने की प्रक्रिया आदि तथा सूचना के अधिकार का प्रयोग करके सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करना था। कार्यशाला में श्री राजेन्द्र बोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार ने अपने अनुभव प्रतिभागियों संग बांटे तथा पत्रकारिता को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।

कार्यशाला में 'कट्स' द्वारा चलाई जा रही परियोजना 'मनरेगा की सेवाओं को जन भागीदारी एवं मीडिया के सहयोग से कुशल व पारदर्शी बनाने पर समीक्षा की गई, जिसमें जयपुर व टोंक जिलों के विभिन्न ब्लॉकों से विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं से सम्बन्धित संवाददाताओं एवं पत्रकारों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यशाला में आए पत्रकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं, भ्रष्टाचार, सेवाओं में कमी आदि विषयों पर प्रकाश डाला।

प्रसार एवं पैरवी बैठक

'कट्स' द्वारा वर्ष 2009 से 'पार्टनरशिप फॉर ट्रांसपैरेन्सी फण्ड' के साथ मिलकर 'सूचना के अधिकार' के प्रभावी उपयोग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर एक परियोजना का संचालन किया गया। इसी क्रम के तृतीय चरण में 'मनरेगा' योजना से सम्बन्धित एक परियोजना का संचालन अप्रेल, 2012 से 'कट्स' द्वारा किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत मनरेगा से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे फॉर्म नं. 6 द्वारा आवेदन करना, सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करवाना तथा पूरी मजदूरी, समय से भुगतान, कार्यस्थल पर सुविधाएं, ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाना, वंचित वर्गों को इस योजना से जोड़ना आदि विषयों पर अथक प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आये। इन्हीं परिणामों को सरकार तथा सम्बन्धित वर्गों के साथ चर्चा हेतु एक पैरवी बैठक का आयोजन दिनांक 21 मार्च, 2013 को जयपुर में किया गया।

कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग से श्री बद्रीनारायण, कमिश्नर, नरेगा, भगवान सहाय शर्मा, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टोंक, एन.आर. पारीक, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर व टोंक जिलों में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाएं, सरपंच, सहायक सचिव, मीडिया कर्मियों ने सक्रिय भाग लिया एवं विषयान्तर्गत अपने विचार प्रकट किए।

In Media

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)
D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Ph: 91.141.2282062, 2282821, Fx: 91.141.4015395, 2282485
Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

In Partnership With: Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC